

राजि० सं० एल. डब्ल्यू./एन. पी. 561

साहसंज्ञा नं० डब्ल्यू पी०-41

साहसंज्ञा दू पोस्ट एंटे कन्सिडरेशन रेट



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 अगस्त, 1994

भाद्रपद 9, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1328/सतह-वि-1-1 (क) 29-1994

लखनऊ, 31 अगस्त, 1994

अधिसूचना

विधि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 पर दिनांक 27 अगस्त, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाओं इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994)

[(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)]

उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उसके संबंधित वादग्रन्थिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रयुक्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में--

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग से है;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है ।

अध्याय-दो

आयोग

उत्तर प्रदेश
अल्पसंख्यक आयोग
का गठन

3--(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृष्यों का पालन करने के लिए सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायगा ।

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और छः सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे :

परन्तु अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे ।

अध्यक्ष और
सदस्यों की
पदावधि और सेवा
की शर्तें

4--(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पदों धारण करने के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा, यथा-स्थिति, अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी समय-पद त्याग कर सकता है ।

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटावेगी यदि वह व्यक्ति--

(क) अनुमोचित विद्यालया हो जाता है ;

(ख) किसी अपराध के लिये, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गत है, सिद्ध होय ठहराया जाता है और कारावास से दंडित किया जाता है ;

(ग) विद्वत् जित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित होता है ;

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिए हानिकार हो गया है ;

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम-निर्देशन द्वारा भरा जायगा ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी बिहित की जाय ।

5-- (1) सरकार इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हों, व्यवस्था करेगी।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

6-- अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जाएगा।

वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

7-- आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिवित के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

रिवितयां इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

8-- (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा अध्यक्ष, उचित समझे, अपनी बैठक करेगा।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनियमन सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसे इस विनियम सचिव द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य

9-- (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्--

आयोग के कृत्य

(क) उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपाय के कार्यकरण का अनुभव करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सकारित करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपाय से संबंधित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सकारित करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विवादाओं पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(छ) किसी अल्पसंख्यक के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना;

(ज) सरकार को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कितने विषय और विशेषकर उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के संबंध में नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना; और,

(झ) कोई अन्य मासला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सकारितों को, सकारितों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सकारित स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवावेगी।

(3) आयोग की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्:--

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

- (ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;
 (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;
 (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख का उसकी प्रतिनिधि अपेक्षित करना ;
 (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना ; और
 (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

अध्याय चार

वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

- 10--(1) सरकार, राज्य विधान सभल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गए सभ्य विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी ।
 (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसा वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायगा ।

लेखा और लेखा-परीक्षा

- 11--(1) आयोग उचित लेख और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।
 (2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायगी जो उनकी लेखा-परीक्षा करायेंगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

- 12--आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुये अपने वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अर्पित करेगा ।

राज्य विधान सभल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

- 13--सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट विधान सभल के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी एवं लोक सेवक होंगे शास्त्र

- 14--आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात्गत लोक सेवक समझा जायगा ।

- 15--जो कोई धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग को किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुये, उस आदेश या निदेश की अज्ञाता करे, यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 तन् 1860) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायगा ।

अपराध का संज्ञान

- 16--कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, दृष्टक या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिदाव पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

नियम बनाने की शक्ति

- 17--(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यालय के लिए नियम बना सकती है ।

- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिबन्ध प्रमाण डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:-

- (क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों, और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें;

- (ख) धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन कोई अन्य मामला ;
- (ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायगा ;
- (घ) रूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेंगी ;
- (ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय ।

18-- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उल्लेखित आवश्यक और समीचीन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, प्रशासक शीघ्र, राज्य विधान सभल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं, लागू होंगे ।

19-- (1) उत्तर प्रदेश अल्प-संख्यक आयोग अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

निरस्त और अपवाद

(2) ऐसे निरस्त के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारायण,
सी सचिव ।

No. 1328 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 29/1994

Dated; Lucknow, August 31, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Alpa Sankhyak Ayog Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 1994.

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR MINORITIES ACT, 1994

[U.P. Act No. 22 of 1994]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

Amil. by 23/99, 30/2001, 20/2004

AN ACT

to constitute a Commission for Minorities in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forti-fifth year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER—I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

(In this Act,—

- (a) "Commission" means the Uttar Pradesh Commission for Minorities constituted under section 3;
- (b) "Government" means Government of Uttar Pradesh;
- (c) "Member" means a Member of the Commission;
- "Minority" for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Government.

CHAPTER—II

The Commission

Constitution of the Uttar Pradesh Commission for Minorities.

3. (1) The Government shall constitute a body to be known as the Uttar Pradesh Commission for Minorities to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Commission shall consist of a Chairman and six Members to be nominated by the Government from amongst persons of eminence, ability and integrity including a woman :

Provided that five Members including the Chairman shall be from amongst the minority communities.

Term of office and conditions of service of Chairman and Members

4. (1) The Chairman and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) The Chairman or a Member may, by writing under his hand addressed to the Government, resign from the office of the Chairman or, as the case may be, of the Member at any time.

(3) The Government shall remove a person from the office of the Chairman or a Member referred to in sub-section (2) if that person—

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude;
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court ;
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the Government, so abused the position of the Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities or the public interest :

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5. (1) The Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 10.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.

Procedure to be regulated by the Commission

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

CHAPTER—III

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :—

Functions of the Commission

(a) evaluate the progress of the development of minorities in Uttar Pradesh;

(b) monitor the working of the safeguards in respect of minorities provided in the Constitution and in laws enacted by the State Legislature;

(c) make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the Government;

(d) look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with the appropriate authorities;

(e) cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;

(f) conduct studies, research and analysis on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities;

(g) suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the Government;

(h) make periodical or special reports to the Government on any matter pertaining to minorities and in particular difficulties confronted by them; and,

(i) any other matter which may be referred to it by the Government.

(2) The Government shall cause the recommendations referred to in clause (c) of sub-section (1) to be laid before each house of State Legislature along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(3) The Commission shall, while performing any of the functions mentioned in clauses (a), (b) and (d) of sub-section (1), have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any Court or office;

(e) issuing commissions or the examination of witnesses and documents; and,

(f) any other matter which may be prescribed.

CHAPTER—IV

Finance, Accounts and Audit

10. (1) The Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

Grant by the Government

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and
audit

11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Government by general or special order in this behalf.

Annual Report

(2) A copy of the annual statement of accounts and the balance-sheet shall be submitted to the Government which shall cause the same to be audited.

Annual Report
and audit report
to be laid before
State Legislature

12. The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

13. The Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.

CHAPTER—V

Miscellaneous

Chairman, mem-
bers and staff of
the Commission
to be public
servants

14. The Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Penalty

15. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under sub-section (3) of section 9, disobeys such order or direction shall, be punishable under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) as the case may be.

Cognizance of
Offence

16. (1) No Court shall take cognizance of the offences specified in section 15 except on the complaint in writing of the Chairman or a Member or of an officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission.

Power to make
rules

17. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) Salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of, the Chairman and Members under sub-section (5) of section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) any other matter under clause (f) of sub-section (3) of section 9;

(c) the form in which the annual statement of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 11;

(d) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 12;

(e) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Power to remove
difficulties

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and
savings

19. (1) The Uttar Pradesh Commission for Minorities Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG,

Sachiv.